392

# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2012 निगरानी – 2154-II/12

श्री ... सेवक शर्मा, अभि० द्वारा दिनांक 11-7-12 को प्रस्तुत। 11-7-12

1– धनश्याम पुत्र गधा लोधी
2– भगवत पुत्र गंधा लोधी
निवासीगण– ग्राम कुश माड, तहसील वकस्वाहा, जिला छतरपुर (म.प्र.) ———आवेदकगण

**बनाम**

1– माखनलाल पुत्र उदयचन्द जैन
निवासी– वकस्वाहा, तहसील वकस्वाहा, जिला छतरपुर (म.प्र.)
2– म.प्र. शासन ———अनावेदकगण

10-7-12

**निगरानी अन्तर्गत धारा–50 म.प्र. भू राजस्व संहिता–1959 संशोधित अधिनियम 2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.6.2012 द्वारा पारित अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म.प्र. प्र.क. 19/अ–12/11–12 धनश्याम बनाम माखनलाल के निर्णय से दुखित होकर।**

श्रीमान जी,

आवेदकगण का निगरानी आवेदन–पत्र सादर प्रस्तुत है:–

1– **प्रकरण के तथ्य:–**

यहकि, वाकें ग्राम कुडाजनी तहसील वकस्वाहा जिला छतरपुर के सर्वे नम्वरान 40, 34, 39 कुल रकबा 4.241 के सवध में अनावेदक कमांक–1 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन सीमांकन वास्ते प्रस्तुत किया जिसमें खसरा न. 42, 34 व 40 वताते हुये व अपना कव्जा वताते हुये मौजा पटवारी तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी-2154-दो/2012 जिला छतरपुर

धनश्याम विरूद्ध माखनलाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 27-03-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 19/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 19-06-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।<br><br>2. पक्षकार दिनांक 27-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।<br><br>(आर.के. जैन)<br>सदस्य 27/3/19 | |